

लोक शिक्षण संचालनालय, मध्य प्रदेश
गौतम नगर भोपाल

क्रमांक/मान्यता/फी./2026/512
प्रति,

भोपाल दिनांक 28/4/26

1. समस्त, कलेक्टर,
मध्य प्रदेश
2. समस्त संभागीय संयुक्त संचालक
लोक शिक्षण मध्य प्रदेश
3. समस्त जिला शिक्षा अधिकारी,
मध्य प्रदेश

विषय- मध्य प्रदेश निजी विद्यालय (फीस तथा संबंधित विषयों का विनियमन) नियम 2020 के प्रावधानों के तहत फीस संरचना संबंधित जानकारी पोर्टल पर अर्थदण्ड सहित अपलोड किए जाने के संबंध में।

विषयांतर्गत मध्य प्रदेश निजी विद्यालय (फीस तथा संबंधित विषयों का विनियमन) नियम 2020 के प्रावधानों के अनुसार शैक्षणिक सत्र 2026-27 की जानकारी दिनांक 30.04.2026 तक पोर्टल पर प्रविष्टी/अपलोड करने हेतु लोक शिक्षण संचालनालय म.प्र. भोपाल के पत्र क्रमांक/मान्यता/पी/नि.वि.फी./2025-26/443 भोपाल दिनांक 02.04.2026 के द्वारा निर्देश जारी किए गए हैं। उक्त तिथि में वृद्धि करते हुए 20.05.2026 नियत की जाती है।

2/ नियत तिथि के उपरांत शैक्षणिक सत्र 2026-27 की प्रस्तावित फीस संरचना की जानकारी पोर्टल पर अपलोड करने पर मध्य प्रदेश शासन स्कूल शिक्षा विभाग मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल के पत्र 285/1987746/2024/20-23 भोपाल दिनांक 30.06.2024 के बिन्दु क्र. 03 मध्य प्रदेश निजी विद्यालय (फीस तथा संबंधित विषयों का विनियमन) नियम 2020 के नियम-3 के उप नियम-4 के अनुक्रम में प्रक्रिया फीस के साथ साथ प्रक्रिया फीस का पांच गुना राशि विलंब के लिए निम्न तालिका अनुसार अर्थदण्ड के रूप में वसूल की जाए-

क्र.	विद्यालय में दर्ज छात्र संख्या/नामांकन	संस्थाओं हेतु जमा किये जाने वाला निर्धारित प्रक्रिया शुल्क (प्रतिवर्ष)	निर्धारित समयावधि के बाद जानकारी अपलोड करने पर अर्थदण्ड (पांच गुना)
1	2	3	4
1	विद्यालय जिनका नामांकन 2000 से अधिक है	रुपये 5,000/-	रुपये 25,000/-
2	विद्यालय जिनका नामांकन 1001 से 2000 तक है।	रुपये 3,000/-	रुपये 15,000/-
3	विद्यालय जिनका नामांकन 501 से 1000 तक है।	रुपये 2,000/-	रुपये 10,000/-
4	विद्यालय जिनका नामांकन 500 तक है।	रुपये 1,000/-	रुपये 5,000/-

अतः निजी विद्यालयों द्वारा निर्धारित तिथि 20.05.2026 तक पोर्टल पर वांछित जानकारी अपलोड नहीं करने की स्थिति में ऊपर वर्णित तालिका के कॉलम क्रमांक 04 के अनुसार अर्थदण्ड की राशि वसूल करने के संबंध में आवश्यक कार्यवाही की जाए।



(अभिषेक सिंह)
आयुक्त
लोक शिक्षण म.प्र.